गई थी जिससे हजारों श्रमिकों की जानें खतरे में पड़ गई थीं ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार खान-सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और खान प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) दिनांक 13-14 जुलाई, 1986 की रात में भारी वर्षा के कारण बिजुरीह खान के लोहसरा इन्क्लाइन में विकसित कार्यस्थलों पर छिछले कवर एरिया में 25X15 मीटर का पाट होल बन गया था। वर्षा का पानी पाट-होल के जरिए भूमिगत क्षेत्र में घुसने लगा परन्तु कोई मौत नहीं हुई क्योंकि प्रभावित क्षेत्र के नीचे या उसके आसपास कोई कामगर काम पर नहीं लगाया गया था दिनांक 14 जुलाई, 1986 की प्रातः सतह पर एक बांध बनाया गया ताकि वर्षा का पानी पाट-होल की ओर नहीं जाकर दूसरी ओर जाए। जो पानी भूमिगत खान में एकत्र हो गया था, उसे भी पंप से बाहर निकाल दिया गया। चूंकि यह दुर्घटना कुछ ही घंटों में 76 मि.मी. तक असाधारण भारी वर्षा होने से हुई और यह ऐसी घटना थी जिस पर प्रबंधमंडल का नियंत्रण नहीं था, इसलिए कर्तव्य की उपेक्षा के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

उन किसानों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार, जिनकी भूमि का कोयला-खनन कार्य हेतु अधिग्रहण किया गया है

1787. **श्री शरद यादव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी करके यह निदेश दिया है कि उन किसानों के परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार न दिया जाए जिनकी तीन एकड़ से कम भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश आदिवासी किसानों के पास तीन एकड़ से भी कम भूमि है, और यदि हां, तो क्या सरकार परिपत्र में संशोधन करने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। कोयला विभाग की यह नीति है कि यदि संबद्ध परियोजना में रोजगार की गुंजाइश हो तो नौकरी देने में भू-विस्थापितों को वरीयता दी जाए। सरकार ने आदेश जारी करके सरकारी उपक्रमों द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मालिकों को, उनसे अधिग्रहीत भूमि के आकार का विचार किए बिना रोजगार देने की पुरानी कार्य प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी है। फिर भी ऐसी प्रत्येक परियोजना में—जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है—भूवंचितों के लिए पुनर्वास के अन्य उपाय किए जाएंगे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आदिवासी किसानों के स्वामित्व वाली भूमि के एकड़ों की संख्या का कोई महत्व नहीं है।

Conference of Power Ministers

1788. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a conference of Power Ministers of States was held in Delhi on 14th July, 1986 to discuss augmentation of power generation and supply in different States; and

(b) if so, what are the details of the discussions held and the outcome thereof?